यूएन में पाक के खिलाफ गरजा भारत

पहलगाम हमले पर भारत का कड़ा संदेश, आतंक पर जीरो टॉलरेंस

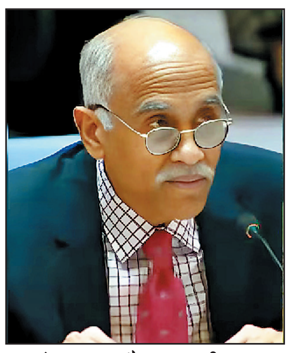

मुंबई, 16 दिसंबर. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित 'लीडर फॉर पीस' ओपन डिबेट के दौरान भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी.

भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश परवथनेनी ने पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान की नीतियों को बेनकाब किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर भी कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित 'लीडर फॉर पीस' ओपन डिबेट के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी. भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश परवथनेनी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी नीति से बाज नहीं आ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और रहेंगे. साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि पर अपने रुख को आतंकवाद से जोड़ते हुए पाकिस्तान को आइना दिखाया. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके दोहरे रवैये पर करारा जवाब दिया. 'लीडर फॉर पीस' डिबेट में भारतीय राजदूत हरीश परवथनेनी ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है.

विश्वसनीयता पर सवाल

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर बार अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग भारत विरोधी एजेंडे के लिए करता रहता है, जिससे अब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. भारतीय राजदूत ने अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए बताया कि धर्म के आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उदाहरण है. भारत ने सिंधु जल संधि पर अच्छे विश्वास से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बदले में पाक ने आतंकवाद का रास्ता चुना. भारत ने साफ किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी रूप से समाप्त नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी.

आतंकवाद : कश्मीर में बारह जगहों पर छापे मारे

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईके ने मंगलवार को एक आतंकी मामले के सिलसिले में कश्मीर घाटी में 12 जगहों पर छापे मारे. अधिकारियों ने बताया सीआईके पुलिस स्टेशन में 2023 में आईपीसी की धारा 153-ए व 505 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम का धारा 13 और 18 के तहत दर्ज मामले में तलाशी वारंट मिलने के बाद सात जिलों में 12 जगहों पर तलाशी ली गई. यह मामला आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों और आतंकवाद के ऑनलाइन समर्थन से संबंधित है, जिसका मकसद कथित तौर पर चरमपंथी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती करना था. विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है.

स्पीकर कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड

सचिवालय को नोटिस जारी कर 7 को मांगा जवाब

नई दिल्ली, 16 दिसंबर. कैश कांड मामले में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

यह मामला संसद में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सचिवालय को नोटिस जारी किया है और उनसे 7 जनवरी तक जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता कि ऐसा नहीं किया जा सकता? जानकारों के अनुसार जस्टिस वर्मा की दलील है कि संसद द्वारा अपनाई गई मौजूदा प्रक्रिया गलत है. उनका कहना है कि जजेज इन्क्वायरी एक्ट के तहत किसी जज को हटाने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार करें और उसके बाद एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए, लेकिन इस मामले में सिर्फ लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित किया है, जबकि राज्यसभा में यह प्रस्ताव अभी लंबित है. जस्टिस वर्मा का यह भी कहना है कि 21 जुलाई को जब दोनों सदनों में उन्हें हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, तब आगे की जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति बननी चाहिए थी. ऐसे में केवल लोकसभा स्पीकर द्वारा समिति का गठन करना कानून के खिलाफ है. जज जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में 14-15 मार्च की रात आग लगने की घटना सामने आई थी. आग बुझाने के दौरान फायर सर्विस को स्टोर रूम से जले हुए नोटों की गड्डियां मिलीं थी.

मनरेगा का नाम बदलने पर भड़कीं प्रियंका गांधी

नई दिल्ली,16 दिसंबर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) का नाम बदलना मोदी सरकार की सनक का परिणाम है और ऐसा कर वह गरीबों के हक मार रही है.

प्रियंका वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा मनरेगा का नाम बदलने के पीछे की सच्चाई यह है कि मोदी सरकार रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करना चाहती है. इस योजना से देश के गरीब से गरीब मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिलती है, लेकिन मोदी सरकार को योजनाओं के नाम बदलने की सनक है. उन्होंने कहा कि नाम बदलना इनकी सनक है और हर नाम को वह बदल रही है. सरकार जब भी नाम भी बदलती है तो सरकार का खर्च होता है. महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके नाम पर मनरेगा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इस योजना को कमजोर कर खत्म करने की योजना चल रही है.

आज का इतिहास

1398 - मंगोल सम्राट तैमूर लंग ने दिल्ली पर क़ब्ज़ा किया।

1556 - बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म।

1645 - मुग़ल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन।

1715- सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर बैरागी ने मुग़लों के सामने आत्मसमर्पण

1777 - फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी।

1803- ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर क़ब्ज़ा किया।

1902- इटली के प्रसिद्ध अविष्कारक मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया।

1907 - उग्येन वांगचुक भूटान के पहले वंशानुगत राजा बने।

11 साल में 7,528 घुसपैठिए पकड़े गए

- भारत-बांग्लादेश सीमा बनी बड़ा खतरा, सरकार का खुलासा
- सुरक्षा पर सरकार का फोकस, बॉर्डर का 93% फेंसिंग पूरा

नई दिल्ली, 16 दिसंबर. सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि वर्ष 2014 से अब तक भारत में सबसे अधिक घुसपैठ भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते हुई है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि पिछले 11 वर्षों में इस सीमा से 7,528 घुसपैठिए भारत में दाखिल हुए। वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर के बीच ही बांग्लादेश सीमा से 1,104 अवैध घुसपैठ के मामले सामने आए हैं. राय ने बताया कि भारत-पाकिस्तान सीमा से इस अवधि में 425 लोगों ने गैरकानूनी रूप से प्रवेश किया, जबकि भारत-चीन सीमा पर अब तक घुसपैठ का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है. सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के 93.25 प्रतिशत हिस्से पर फिजिकल फेंसिंग पूरी हो चुकी है, जबकि भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब 79 प्रतिशत क्षेत्र में फेंसिंग लगाई जा चुकी है.

देश के विभिन्न शहरों में स्थित ऐतिहासिक बाजारों को सुरक्षित बनाने के लिए ड्रोन आधारित अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था करने की मंगलवार को राज्यसभा में मांग की गई. कविता पाटीदार ने कहा कि राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक और देश भर के इसी तरह के अन्य ऐतिहासिक तथा सदियों पुराने बाजार भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हैं. ये बाजार छोटी और तंग गलियों में होने के कारण इनमें बिजली के तार फैले हुए हैं जिनसे शार्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बना रहता है. उन्होंने कहा कि इस तरह ये बाजार एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठे हैं.

गृहमंत्री अमित शाह से मिले नितिन नबीन

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान शाह ने उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

गोवा में हर कदम पर भ्रष्टाचार : केजरीवाल

- केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, वीडियो भी किया शेयर

नई दिल्ली, 16 दिसंबर. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल ने गोवा बीजेपी के एक कार्यकर्ता का वीडियो साझा करते हुए वहां की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल के भीतर से ही भ्रष्टाचार की आवाजें उठने लगें, तो यह पूरे सिस्टम के सड़ने का संकेत होता है. केजरीवाल ने एक पोस्ट साझा करते हुए गोवा बीजेपी के एक कार्यकर्ता का वीडियो भी अपलोड किया और कहा कि यह वीडियो भाजपा सरकार की सच्चाई को उजागर करता है. केजरीवाल ने लिखा कि गोवा में बीजेपी के अपने ही वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता खुलकर यह कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी.

केजरीवाल ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी गोवा सरकार के दो मंत्री अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अब एक और नेता सामने आ गया है. आप नेता ने कहा कि जब सत्ताधारी पार्टी के भीतर से ही भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हों, तो यह साफ हो जाता है कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट और बेईमान बना दिया है. उन्होंने दावा किया कि गोवा की जनता अब एक साफ-सुथरे, ईमानदार और जवाबदेह बदलाव की मांग कर रही है. इससे पहले अलग पोस्ट में केजरीवाल ने 1971 की ऐतिहासिक जीत को याद किया.

इंडिगो के पायलटों जैसा कल आपके साथ भी हो सकता है : संगठन

नई दिल्ली. पायलटों के संगठन अल्पा इंडिया ने चेतावनी दी है कि इंडिगो की तरह दूसरी विमान सेवा कंपनियां भी अपने पायलटों पर काम का अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं और इसलिए पायलटों को एकजुट होने की जरूरत है. अल्पा (एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन) इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन सैम थॉमस ने मंगलवार को पायलटों के लिए जारी एक वीडियो संदेश में कहा, 'आज हम देख रहे हैं कि इंडिगो के पायलट दूसरे पायलटों की तुलना में ज्यादा परेशानी में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब प्रबंधन और अधिकारियों की तरफ से आपके साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया जाने लगेगा.

बीजापुर में 34 नक्सलियों का एकसाथ आत्मसमर्पण

बीजापुर. 16 दिसंबर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम को एक बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर जिले में मंगलवार को एक साथ 34 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें 26 नक्सली ऐसे थे, जिन पर कुल 84 लाख रुपये का इनाम घोषित था. खास बात यह रही कि सरेंडर करने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं. राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के निरंतर दबाव के चलते नक्सली हिंसा छोड़कर अब सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं. यह घटना नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली की दिशा में अहम मानी जा रही है. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से नक्सल मोर्चे पर कामयाबी की खबर सामने आई है. मंगलवार को 34 नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के अंतर्गत। उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान डिमांड नोटिस की तिथि(ओं) से भुगतान की तिथि तक के अतिरिक्त ब्याज सहित करने के लिए सूचित किया जाता है। ऋणी(ओं) का विवरण, मांग नोटिस की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी गई सुरक्षा निम्नानुसार है:-

ऋणकर्ता/ गारंटर का नाम / कानूनी वारिस का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्रीमती सुलोचना शर्मा, अन्य ज्ञात /अज्ञात वारिस और कानूनी प्रतिनिधि, यदि कोई हो, स्वर्गीय श्री अनंतनारायण शर्मा के (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10151837)	16-दिसंबर-2025 रू. 9,55,281.77/- (नौ लाख पचपन हजार दो सौ इक्यासी और सत्तर पैसे मात्र)	संपत्ति का पूरा हिस्सा और पार्सल जो इस प्रकार है: प्लॉट नं. 88 का उत्तरी भाग, (भाग नंबर 88-B), वॉक इन सिटी, गांव घाटा बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, 454773 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): भूमिक्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 500.00, 400.00

यदि उक्त उधारकर्ता उपर्युक्त अनुसार IIFL HFL को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो IIFL HFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जिसका जोखिम, लागत और परिणाम पूरी तरह से उधारकताओं को ही वहन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: शाखा कार्यालय: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट कार्यालय: IIFL टावर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, चौथा चरण, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 17.12.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक/1055/ प्रकाश/ 2025 — रतलाम, दिनाक 15/12/2025

:: तृतीय ई - निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है:-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी. की राशि	निविदा की अंतिम तिथि
1	468429	रतलाम शहर के हम्माल कॉलोनी में विद्युत विस्तारीकरण संबंधी कार्य।	90 Days 146069/-	2000/- 2921	30/12/2025 15:00 PM

नोट :- निविदा से संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। या ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी
प्रकाश विभाग
नगर पालिक निगम, रतलाम

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
इंदौर विजय नगर शाखा: 104, ओम गुरुदेव प्लाजा, कॉम्प्लेक्स (वार्ड कमांक 29), प्लॉट कमांक 26, स्कीम कमांक 54, (मैकेनिक नगर एक्सटेंशन), विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452010

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटरस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 35300000012 / इंदौर विजय नगर शाखा) शुभम पाटीदार (ऋणी) शिवलाल एवं सुनीता पाटीदार (सह-ऋणी) शिवम पाटीदार एवं हुकुम पाटीदार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 373 1 1, पैकि ग्राम जामली नगर, पुराने ए.बी, रोड के पास, सर्वे नं. 373 1 1 का भाग, पैकि, प.ह.न. 8, ग्राम जामली नीम, पुराना एबी रोड, तहसील महू, जिला इन्दौर,. इन्दौर, म.प्र.- 453441, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- सर्वे का शेष भाग, पश्चिम- जयशंकर पाटीदार की भूमि, उत्तर- उमिया स्टोर रोड, दक्षिण- विनोद पिता मोहनलाल जी का मकान	07-07-2025 & ₹ 8,54,158/-	15-12-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 17.12.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CENTRUM Home Loans

Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826
कार्यालय क्रमांक 215, दूसरी मंजिल, बेंचमार्क, सत्यसाई चौराहा, विजय नगर, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश।

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें] और 9(1) नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता/ऋणकताओं से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफों में 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

स. क्रं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता संख्या/शाखा	आज तक कुल बकाया	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ((RP)	बयाना राशि जमा राशि (EMD) 10%
1	1. बसंत कुलपरिया 2. जितेंद्र कुलपरिया पुत्र बेनी प्रसाद कुलपरिया IDR0101000057	रू. 8,48,421 (आठ लाख अड़तालीस हजार चार सौ इक्कीस मात्र) 31-08-2021 तक	मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर तहसील के "सुपर सिटी" स्थित ज्ञानशीला होम्स के ब्लॉक-एम में स्थित 541 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले फ्लैट संख्या एस/ए-206 के अधिकार, भाग और पार्सल में, जिसकी सीमाएँ निम्न प्रकार से हैं- पूर्व में अन्य भूमि, पश्चिम में साझा मार्ग, उत्तर में फ्लैट संख्या एस/ए-205, दक्षिण में अन्य भूमि।	रु. 6,00,000/- (छह लाख मात्र)	रु. 60,000/- (साठ हजार मात्र)

1. नीलामी "जैसा है, जहाँ है" और "जैसा है, जो है" के आधार पर आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं, जो उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। 3. 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय ईएमडी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि, केवाईसी के साथ, 08-01-2026 को या उससे पहले सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर है। जो निविदाएं पूरी तरह से भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 07-01-2026 है, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक। 5. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव नीलामी की तिथि 09-01-2026 है, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर अधिकृत अधिकारी द्वारा। 6. खरीदार नीलामी की गई संपत्ति के संबंध में लागू स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी वैधानिक देय, कर, दर निर्धारण, सरकारी और अर्ध सरकारी कर, टीडीएस और अन्य शुल्क, फीस आदि का वहन करेगा। उपरोक्त उल्लिखित बंधक संपत्ति का कब्जा सीएचएफएल के पास है, जो उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पर सफल बोलीदाता को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा। इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के स्वामित्व संबंधी भारों की स्वयं स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और संपत्ति का निरीक्षण करके स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। 7. संपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने के सभी अन्य खर्च और वैधानिक देय राशि, यदि कोई हो, सफल क्रेता द्वारा वहन की जाएगी। 8. उच्चतम बोलीदाता को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्वीकृति के अधीन होना होगा। अधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 9. उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन की बिक्री सूचना दी जाती है, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता नीलामी की तारीख से पहले सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रद्द की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए, ऊपर दिए गए कार्यालय पते पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। संपर्क व्यक्तिः 1. श्री अंकित विग - 8668943242 2. श्री अजय उपाध्याय - 8097567896

एसडी/-
स्थान: मध्यप्रदेश, दिनांक : 17.12.2025
अधिकृत अधिकारी सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
खण्डवा शाखा : प्लाट नं.-01, श्री नगर कॉलोनी, इंदौर रोड़, खण्डवा- 450001 (मध्य प्रदेश) **प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीय, संपर्क : 7583898990**

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूँकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूँकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए आम तौर पर उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं. /शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	(लोन कोड नं. 05510000190/ खण्डवा शाखा)	शकील इब्राहीम (ऋणी) समीम बाई एवं युनूस शकील (सह-ऋणी)	11-08-2025 एवं ₹ 8,38,389/-	₹ 5,00,000/-	₹ 9,63,393/- दि. 10-12-2025 तक	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल, मदिना नगर नागचुन रोड़, हजरत खानशावली वार्ड 36, प्लाट नं. 03, (कॉलोनी लेआउट के अनुसार प्लाट नं. 02 का भाग,खण्डवा पूर्व निमाड़ मध्य प्रदेश 450001 **चर्तुसीमाएँ:-**पूर्व-वाहिदा बी पति इब्राहीम खान का मकान, पश्चिम- जावेद अहमद खान का मकान, उत्तर- प्लाट नं. 09 कॉलोनी, दक्षिण- रोड़

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस जो उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है और जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसी है वैसी है', और 'जो भी है' के आधार पर निजी समझौते के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके।

यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) के पास कोई ऐसा खरीदार है जो दी गई आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) को **06.01.2026** से एक दिन पहले AHFL को सूचित करना होगा, जिसके बाद AHFL उस खरीदार को वरीयता देगा । यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) **06.01.2026** से एक दिन पहले सूचित करने में विफल रहते हैं, तो AHFL ऊपर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा। यह संपत्ति AHFL को ज्ञात या अज्ञात, सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

नीलामी की तारीख 06.01.2026 तय की गई है।

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 17.12.2025

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालय, 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के अधिकृत अधिकारी ("AO") ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित खातों में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। इस संपत्ति को "जैसी है, जहाँ है, जैसी है और बिना किसी अधिकार के" IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए बेचने का अधिकार है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
अंकित जी कंदरिया श्रीमती अंकिता कंदरिया (प्रोस्पेक्ट नं. IL10454517)	18/11/2024 रू. 1653243/- (सोलह लाख तिरेपन हजार दो सौ तिरतालीस मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग पता: प्लॉट संख्या 124 का दक्षिणी भाग, बालाजी आंगन, ग्रामजम्बुरदी हप्सी, तहसील- हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453111 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, निर्मितक्षेत्रफल, कालीनक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 480.00, 480.00, 111.00	28/11/2025 कुल बकाया राशि दिनांक 08/12/2025 तक रू. 1941005/- (उन्नीस लाख ईकतालीस हजार पांच मात्र)	रू. 1942000/- (उन्नीस लाख बयालीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रू. 194200 (एक लाख चौरानवे हजार दो सौ मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
16/01/2026 11:00 बजे - 14:00 बजे	19/01/2026 शाम 5 बजे तक।	21/01/2026 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

भुगतान विधि:- अग्रिम राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भुगतान के लिए - लॉग इन करें। https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance पर भुगतान करें

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित अदा करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थान:- इन्दौर, दिनांक: 17.12.2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।